

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 369/2017 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 11.08.2017

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड  
म.प्र.

— अभियोजन

### बनाम

1—गुरप्रीतसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह उम्र 30 साल  
2—जोगेन्द्रसिंह पुत्र भजनसिंह उम्र 60 साल  
निवासीगण ग्राम हरगोविन्दपुरा थाना गोहद चौराहा जिला  
भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

( आरोप अंतर्गत धारा—324, 324/34 भा0द0सं0 )

( राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार )

( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री के0के0 शुक्ला )

### निर्णय

( आज दिनांक 11-08-2017 को घोषित )

आरोपीगण पर दिनांक 11.07.17 को 6 बजे फरियादी इन्द्रजीत के घर के सामने ग्राम हरगोविन्दपुरा में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी इन्द्रजीत की आक्रामक धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी गुरप्रीत पर भा0द0सं0 की धारा 324 एवं आरोपी जोगेन्द्रसिंह पर भा0द0सं0 की धारा 324/34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11.07.17 को सुबह करीबन 6 बजे फरियादी इन्द्रजीत के घर के सामने आरोपी गुरप्रीत एवं जोगेन्द्र ने अपने पशु बांध दिए थे। फरियादी इन्द्रजीत ने आरोपीगण को पशु बांधने से रोका था तो दोनों आरोपीगण फरियादी को मां-बहन की गालियां देने लगे थे जब फरियादी ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो गुरप्रीत ने फरियादी इन्द्रजीत के कोई धारदार वस्तु मारी थी जिससे इन्द्रजीत के माथे एवं हाथ की कलाई में चोट आई थी जोगेन्द्र ने उसे पटक दिया था मौके पर जसपाल एवं जगदीशसिंह आ गये थे जिन्होंने बीच बचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय

जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहा में अप0क्र0 83/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात फरियादी इन्द्रजीत द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी गुरप्रीतसिंह के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 324 तथा आरोपी जोगेन्द्र के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण शेष है।

4. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.07.17 को 6 बजे फरियादी इन्द्रजीत के घर के सामने ग्राम हरगोविन्दपुरा में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी इन्द्रजीत की आक्रामक धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी इन्द्रजीतसिंह अ0सा01 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी इन्द्रजीतसिंह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से 20-25 दिन पहले सुबह 6 बजे की है आरोपीगण ने उसके घर के सामने पशु बांध दिए थे इसी बात पर उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था आरोपीगण ने गाली गलौच कर दिया था अन्य कोई बात नहीं हुई थी उसने इसी बात की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहा में की थी जो प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि गुरप्रीत ने उसके माथे एवं बांये हाथ की कलाई पर कोई धारदार वस्तु मारी थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं पुलिस कथन प्र0पी-3 में पुलिस को लिखाई थी।

8. इस प्रकार फरियादी इन्द्रजीत अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपीगण से मात्र उसका मुंहवाद हुआ था। आरोपीगण ने

गाली गलौच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र०पी-1 एवं पुलिस कथन प्र०पी-3 में पुलिस को लिखाई थी।

9. इस प्रकार फरियादी इन्द्रजीत अ०सा०1 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने फरियादी इन्द्रजीत की धारादार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

10. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 11.07.17 को 6 बजे फरियादी इन्द्रजीत के घर के सामने ग्राम हरगोविन्दपुरा में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी इन्द्रजीत की आक्रामक धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी गुरप्रीतसिंह को भा०द०स० की धारा 324 एवं आरोपी जोगेन्द्रसिंह को भा०द०स० की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

11. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान—गोहद

दिनांक :-11.08.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)